



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-3123/KA/15/2024-RO-BH

दिनांक: 07.10.2024

सेवा में,

डॉ. शालिनी रजनीश,  
मुख्य सचिव,  
कर्नाटक सरकार,  
कमरा नंबर-320, तीसरी मंजिल,  
विधानसौधा, बेंगलुरु-560001,  
कर्नाटक  
ई-मेल: [cs@karnataka.gov.in](mailto:cs@karnataka.gov.in)  
फोन नं. 22252442

विषय: - माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में दिए आदेश के बावजूद जिला कलेक्टर द्वारा गलत आदेश पारित कर आवेदक के साथ अन्याय करने के संबंध में श्री हनमन्तय बसप्पा वालिकर, गांव बोलवाड, तहसील तालीकोटी, जिला-विजयापुर, कर्नाटक का दिनांक 09.08.2024 का अभ्यावेदन।


संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 02.09.2024.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री जाटोतु हुसेन, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 17.10.2024 को 05:40 बजे सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

  
(सूरत सिंह)  
निदेशक

ई-मेल: [researchofficer-esdw@ncst.nic.in](mailto:researchofficer-esdw@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीया सदस्य महोदया (जा. हु.) के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-3123/KA/15/2024-RO-BH

दिनांक: 07.10.2024

सेवा में,

श्री टी. भूबालन,  
उपायुक्त, विजयापुरा,  
कार्यालय उपायुक्त,  
जिला-विजयापुरा-586101,  
कर्नाटक  
ई-मेल: dcvijayapura-ka@nic.in  
फोन नं. 08352-250021

विषय: - माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में दिए आदेश के बावजूद जिला कलेक्टर द्वारा गलत आदेश पारित कर आवेदक के साथ अन्याय करने के संबंध में श्री हनमन्तय बसप्पा वालिकर, गांव बोलवाड, तहसील तालीकोटी, जिला-विजयापुर, कर्नाटक का दिनांक 09.08.2024 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 02.09.2024.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री जाटोतु हुसेन, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 17.10.2024 को 05:40 बजे सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

सूरत सिंह  
(सूरत सिंह)  
निदेशक

ई-मेल: [researchofficer-esdw@ncst.nic.in](mailto:researchofficer-esdw@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीय सदस्य महोदया (जा. हु.) के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।



सत्यमेव जयते

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-3123/KA/15/2024-RO-BH

दिनांक: 07.10.2024

सेवा में,

श्री हनमन्तय बसप्पा वालिकर,  
गांव बोलवाड,  
तहसील तालीकोटी,  
जिला-विजयापुर,  
कर्नाटक

विषय: - माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में दिए आदेश के बावजूद जिला कलेक्टर द्वारा गलत आदेश पारित कर आवेदक के साथ अन्याय करने के संबंध में श्री हनमन्तय बसप्पा वालिकर, गांव बोलवाड, तहसील तालीकोटी, जिला-विजयापुर, कर्नाटक का दिनांक 09.08.2024 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य (श्री जाटोतु हुसेन) ने आपके मामलों में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 17.10.2024 को 05:40 बजे आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में बैठक तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

सूरत सिंह

(सूरत सिंह)  
निदेशक

ई-मेल: [researchofficer-esdw@ncst.nic.in](mailto:researchofficer-esdw@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीया सदस्य महोदया (जा. ह.) के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।